IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 28, Issue 12, Series 1 (December, 2023) 79-88
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

भारत में सतत विकास व पर्यावरण संरक्षण एक भौगोलिक अध्ययन

कुंवर पाण्डेय
ग्राम विकास अधिकारी
पंचायत समिति – रामगढ़
जिला – अलवर
राजस्थान

शोध सारांश
सतत विकास की प्रक्रिया को व्यवहार्य और क्रियाशील बनाने के लिए, एक सामान्य फोकस स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो भूगोल, समाज, अर्थशास्त्र, विज्ञान के स्तर के संदर्भ में विविधता को समझते हुए, दुनिया भर में विकास में विभिन्न प्रतिभागियों के दृष्टिकोण और प्रयासों को एकीकृत कर सके। और प्रौद्योगिकी क्षमताएं और क्षमताएं और शिक्षा मानक/स्तर। विकसित देशों को अपने उत्पादन और उपभोग पैटर्न को बदलने की जरूरत है, जिसमें जीवाश्म ईंधन और प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना और एसडीजी के अनुरूप सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है। पर्यावरण , वर्षावन और महासागर जैसे पर्यावरणीय संसाधनों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग के लिए मिलकर काम करना चाहिए। खाद्य प्रणाली को बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों और नीतियों में व्यापक बदलाव से गुजरना होगा जो वर्तमान, अस्थिर, यथास्थिति का समर्थन कर रहे हैं।

मुख्य बिन्दु :– सतत विकास के मूल तत्व, सतत विकास के वैश्विक मुद्दे व पहल, सतत विकास के लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति, एजेंडा–2030 और भारत, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, सुझाव व निष्कर्ष ।

परिचय :–

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक (एसडीजी इंडेक्स 2.0) का दूसरा संस्करण जारी किया है । सूचकांक 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण करता है। 2020 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा एसडीजी को अपनाने की 5वीं वर्षगांठ होगी । 'विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।' सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर (1987) में दी थी। सतत विकास (एसडी) लोगों और ग्रह के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयासों का आह्वान करता है।भारत को यदि एजेंडा 2030 में तय लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करती हो। साथ ही प्रशासनिक एवं छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सामंजस्य तथा भागीदारी पर ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि हम सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक नहीं प्राप्त कर सके थे तो इसका मुख्य कारण यह था कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये तय नीतियों का क्रियान्वयन सशक्त नहीं था। सतत विकास के लक्ष्यों को यदि हम 2030 तक प्राप्त कर लेते हैं तो भारत एक विकसित तथा समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।

उद्देश्य :–

1 सतत विकास के लक्ष्यों व मुद्दों का मूल्यांकन करना ।

2 सतत विकास व पर्यावरण संरक्षण एजेंडा 2030 का भारत के सन्दर्भ में अध्ययन करना ।

परिकल्पना :–

1 सतत विकास के लक्ष्यों से भारत में बहुआयामी विकास हुआ है ।

आँकड़ो के स्त्रोत :–

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितायक सूचनाएं उपयोग की गई है जो विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों से प्राप्त की गई है ।

सतत विकास के मूल तत्व :–

सतत विकास के तीन मुख्य तत्व आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण हैं। उनमें सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत आर्थिक विकास, सतत आजीविका प्राप्त करना, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और उचित प्रौद्योगिकी सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता :–

यह प्रकृति को संसाधनों के एक अटूट स्रोत के रूप में उपयोग करने से रोकता है और इसकी सुरक्षा और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करता है। पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश , पानी की बचत, टिकाऊ गतिशीलता का समर्थन और टिकाऊ निर्माण और वास्तुकला में नवाचार जैसे पहलू कई मोर्चों पर पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में योगदान करते हैं।

सामाजिक स्थिरता :–

यह लैंगिक समानता, लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के विकास को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जीवन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उचित और उचित रूप से वितरित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

आर्थिक स्थिरता :–

समान आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सभी के लिए धन पैदा करता है।

- ★ निवेश और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण ।
- ★ गरीबी को उसके सभी रूपों और आयामों में समाप्त करना।
- ★ वैज्ञानिक एवं पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण
- ★ यदि लोग परिवर्तन की प्रक्रिया में अपने स्थानीय संसाधनों और प्रथाओं का योगदान करने में सक्षम हैं, तो विकास न केवल टिकाऊ हो जाता है बल्कि तेज भी हो जाता है।
- ★ पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान को सम्मिलित रूप से सामुदायिक ज्ञान कहा जाता है। कई क्षेत्रों में एसडी की ओर बढ़ने के लिए सामुदायिक ज्ञान की आवश्यकता होगी।
- ★ जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वदेशी ज्ञान भी एक संभावित स्रोत है ।
- ★ भारत में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) और पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) जैसी पहलों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान के महत्व को मान्यता दी गई है।

सतत विकास से संबंधित वैश्विक मुद्दे :–

जलवायु परिवर्तन :–

एक वैश्विक समस्या के रूप में, जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत, विकासशील देशों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटना और सतत विकास को बढ़ावा देना दो परस्पर मजबूत करने वाले मुद्दे हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): –

सभी अमीरों और गरीबों के लिए कल्याण की आवश्यकता है ताकि नवाचार के परिणामों तक सस्ती पहुंच हो जिससे सतत विकास हो सके।

सतत विकास पर वैश्विक पहल :–

स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972: यह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को वैश्विक एजेंडे पर रखने की दिशा में पहला कदम था। इसके परिणामस्वरूप स्टॉकहोम घोषणा हुई जिसमें सिद्धांत और एक कार्य योजना शामिल थी जिसमें पर्यावरण नीति के लिए सिफारिशें शामिल थीं।

यूएनईपी की स्थापना 1972 में अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में पर्यावरणीय फोकस के विकास और समन्वय में उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए की गई थी।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 : यह ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रत्यक्ष परिणाम थायह रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के परिणाम निम्नलिखित दस्तावेज़ थे ।

- जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन
- वन सिद्धांतों पर वक्तव्य
- रियो घोषणा
- एजेंडा 21

क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 :–

रियो +10, 2002: रियो परिणामों (रियो +10) के 10–वर्षीय मूल्यांकन ने जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (डब्लूएसएसडी) का आकार लिया ।

रामसर कन्वेंशन, 1971 :–

विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 : यह विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान और संरक्षण करता है। यह 'विरासत स्थलों' की एक सूची तैयार करता है , जो 'उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य' के सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित क्षेत्र हैंऔर इसलिए सभी मानवता के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस), 1973

जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (सीएमएस), 1979

ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, 1985

ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987

बेसल कन्वेंशन, 1989

जैविक विविधता पर कन्वेंशन, 1992

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1994

रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998

सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2001

ग्लोबल टाइगर फोरम, 1993

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, 1946

मिनामाटा कन्वेंशन, 2013

जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियाँः कार्बन पृथक्करण, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स, जियो–इंजीनियरिंग।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (सीएसडी)

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस)

जलवायु वित्त वास्तुकलाः हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), अनुकूलन कोष (एएफ) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

वनों की कटाई और वन क्षरण (आरईडीडी) और आरईडीडी+ से उत्सर्जन को कम करना

पेरिस समझौता 2015

स्वच्छ विकास तंत्र कुशल और सुदृढ़ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका है।

जलवायु–स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन (जीएसीएसए)

हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए साझेदारी (पेज)

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):–

सतत विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने सतत विकास और एसडीजी के लिए 2030 एजेंडा लॉन्च किया।

इस सार्वभौमिक, एकीकृत और परिवर्तनकारी एजेंडे का लक्ष्य उन कार्यों को प्रोत्साहित करना है जो गरीबी को समाप्त करेंगे और अगले 15 वर्षों में एक अधिक टिकाऊ दुनिया का निर्माण करेंगे।

2030 तक 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है – सरकारें, व्यवसाय, नागरिक समाज और हर जगह लोगों को भूमिका निभानी है।

एसडीजी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

वैश्विक पहलों में बाधाएँ :–

बढ़ती पर्यावरणीय परस्पर निर्भरता और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता के साथ सदस्य देशों द्वारा 'संप्रभुता' के दावे में सामंजस्य स्थापित करना।

उदाहरण के लिएः उत्तर–दक्षिण विभाजन पर काबू पाना अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है।

'उत्तरी' दुनिया में दुनिया की आबादी का 20þ से कुछ अधिक है, लेकिन दुनिया की 80þ ऊर्जा की खपत होती है; दूसरी ओर, 'दक्षिण', जिसमें दुनिया के विकासशील देश शामिल हैं, अभी भी अपनी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

वैश्विक कॉमन्स (महासागर, अंतरिक्ष और अंटार्कटिका) की निगरानी और विनियमन के तरीके/तरीके। किसी की संपत्ति होना सुरक्षा के लिए हतोत्साहित करने वाला हो सकता है।

क्षेत्रीय पहल

क्षेत्रीय तंत्र वायुमंडलीय प्रदूषण और साझा नदियों और जल निकायों के प्रदूषण जैसे सीमा पार मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रभावी साधन हैं, जिन्हें राष्ट्र स्वयं हल करने में असमर्थ हैं। क्षेत्रीय तंत्र में लेन–देन की लागत कम होती है, समय कम लगता है और सफलता की संभावना अधिक होती है।

यूरोपीय संघ (ईयू): इसने कुछ पर्यावरणीय सिद्धांतों को लागू किया, जैसे, निवारक सिद्धांत, सहायकता सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत आदि।

आसियान के पास कई पर्यावरणीय कानूनी उपकरण हैं।

सार्क ने पर्यावरण कार्य योजना (1997) अपनाई :–

दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए 2006 में आपदा प्रबंधन 2006–2015 पर व्यापक रूपरेखा को अपनाया गया था।

पर्यावरण पर सहयोग पर सार्क कन्वेंशन को सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है और 2013 में लागू किया गया है।

सामुदायिक पहल :–

सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सीधे सामुदायिक स्तर से होती है। एनजीओ वैश्विक और स्थानीय आवश्यकताओं और अभिनेताओं के बीच संबंध बनाते हैं। उन्होंने सभी स्तरों पर पर्यावरण कानून और नीति की बातचीत, निगरानी और कार्यान्वयन में भूमिका निभाई है।

प्न्ब्छ, 1948 ने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का मसौदा तैयार करने में मदद की है या एक सचिवालय प्रदान किया है।

राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस सूची कार्यक्रम (आईपीसीसी–एनजीजीआईपी)

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आंदोलन के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

यातायात : वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, 1976

वेटलैंड्स इंटरनेशनल

ग्रीनपीस पर्यावरणीय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने और सार्वजनिक बहस के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, पैरवी और कूटनीति के साथ–साथ हाई–प्रोफाइल, 'सड़कों पर' कार्यक्रमों का उपयोग करता है।

भारत में, जैव विविधता अधिनियम, 2002 लगभग पूरी तरह से देश भर में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क के इनपुट पर बनाया गया है।

इसी प्रकार, चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन सामुदायिक प्रयासों के परिणाम थे।

सतत विकास सूचकांक (एसडीआई), 2019 :–

इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) द्वारा जारी किया गया है।

एसडीआई देशों को उन कमियों की पहचान करने में मदद करना चाहता है जिन्हें 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए दूर किया जाना चाहिए और शीघ्र कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं की पहचान की जानी चाहिए।

162 देशों में भारत 115वें स्थान पर है।

वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट (जीएसडीआर), 2019 :–

यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किया गया पहला जीएसडीआर है। इसका शीर्षक है "भविष्य अब हैः सतत विकास प्राप्त करने के लिए विज्ञान"।

इसने 2030 सतत विकास एजेंडा पर प्रगति का मूल्यांकन किया।

रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्तमान विकास मॉडल टिकाऊ नहीं है, और जो प्रगति हुई है वह बिगड़ती सामाजिक असमानताओं और हमें बनाए रखने वाले प्राकृतिक वातावरण में संभावित अपरिवर्तनीय गिरावट के कारण उलट होने का खतरा है ।

कुल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा में लगभग औसतन वृद्धि हुई है। पिछले दशक में सालाना 5þ। इस बीच, 2009 के बाद से नवीकरणीय बिजली (सौर और पवन) की कीमत में लगातार पाँच वर्षों तक गिरावट आई है।

जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति :–

भारत ने वर्ष 2020 से पहले के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होने के बावजूद, वर्ष 2009 में भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 20–25þ तक कम करने के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य की घोषणा की। भारत ने वर्ष 2005 और 2016 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24þ की कमी की है। पेरिस समझौते के अनुसार, भारत ने वर्ष 2015 में न्छथ्ब्ब में अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (छक्बे) प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2021–2030 की अवधि के लिये आठ लक्ष्यों की रूपरेखा को शामिल किया गया है, ये हैंः

अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33 से 35þ तक कम करना।

वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40þ संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिये हरित जलवायु कोष (ळब्थ्) सहित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन ब्व्2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।

अन्य लक्ष्य स्थायी जीवनशैली से संबंधित हैं; जलवायु के अनुकूल विकास पथ; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन; जलवायु वित्त; प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये भारत की हालिया पहल (और इस तरह सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करना)– वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो, हरित ऊर्जा संक्रमण आदि।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (छ।च्ब्ब्) :–

उपर्युक्त लक्ष्यों के अलावा, भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना को भी लागू कर रही है जो शमन और अनुकूलन सहित सभी जलवायु कार्यों के लिये एक व्यापक नीतिगत ढाँचा प्रदान करती है।

इसमें सौर ऊर्जा के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मुख्य मिशन शामिल हैं– ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, स्थायी आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हरित भारत, स्थायी कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिये रणनीतिक ज्ञान।

33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने छ।च्ब्ब् के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना ै।च्ब्ब्) तैयार की है।

भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुकूलन गतिविधियों को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (छ।थ्ब्ब्) के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।

छ।थ्ब्ब् को प्रोजेक्ट मोड में लागू किया गया है और अब तक 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में छ।थ्ब्ब् के तहत 30 अनुकूलन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

एजेंडा–2030 और भारत

गौरतलब है कि भारत सरकार ने पहली बार, न्यूयार्क में जुलाई, 2017 में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (भ्पही–समअमस च्वसपजपबंस थ्वतनउ) पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह वह मंच है जहाँ एजेंडा 2030 के अंतर्गत तय लक्ष्यों के सन्दर्भ में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है। इस वर्ष भारत सहित 44 राष्ट्र इन लक्ष्यों के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। यह एजेंडा 2030 और इस संबंध में भारत द्वारा की गई प्रगति को समझने का एक उपयुक्त अवसर है।

क्या है एजेंडा 2030

विदित हो कि वर्ष 2015 से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिये सतत विकास लक्ष्य (ेनेजंपदंइसम कमअमसवचउमदज हवंसे–ैक्ळ) निर्धारित किये गए थे।

उल्लेखनीय है कि 2000–2015 तक की अवधि के लिये सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (उपससमददपनउ कमअमसवचउमदज हवंसे–डक्ळ) की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी जिनकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी।

तत्पश्चात, आने वाले वर्षों के लिये एक नया एजेंडा (ैक्ळ–2030) को औपचारिक तौर पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने अंगीकृत किया था। सतत विकास लक्ष्यों की बात करने से पहले यह जानना भी महत्त्वपूर्ण होगा कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य क्या थे?

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (उपससमददपनउ कमअमसवचउमदज हवंसे–डक्ळ)

1. भुखमरी तथा गरीबी को ख़त्म करना।

2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना।

3. लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना।

4. शिशु–मृत्यु दर घटाना।

5. मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना।

7. पर्यावरण सततता।

8. वैश्विक विकास के लिये संबंध स्थापित करना।

गौरतलब है कि भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से एचआईवी/एड्स, गरीबी, सार्वभौमिक शिक्षा तथा शिशु मृत्युदर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है। जबकि अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत अभी भी बहुत पीछे है। हालाँकि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को एजेंडा 2030 में निहित लक्ष्यों के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया है।

'ट्रांस्फॉर्मिंग आवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है।

भारत सहित 193 देशों ने सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया था और एक जनवरी, 2016 को यह लागू किया गया।

इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किये गए थे जिन्हें 2016–2030 की अवधि में प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 8 लक्ष्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से लिये गए है, जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030, में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था जो इस प्रकार से हैं:

गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।

भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।

सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।

लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।

सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार, और सभ्य काम को बढ़ावा देना।

लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा।

देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।

सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।

स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।

जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।

स्थायी सतत विकास के लिये महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।

सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।

सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।

सतत विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत बनाना।

एजेंडा 2030 में निहित उम्मीदें :–

सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएँ पूरी करे।

सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिये समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के बाद (जो 2000 से 2015 तक के लिये निर्धारित किये गए थे) विकसित इन नए लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है, जिसमें चुनौतियाँकम और आशाएँ अधिक हों।

एजेंडा 2030 के सन्दर्भ में भारत की प्रगति :–

भारत लंबे अरसे से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एजेंडा 2030 के एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी दूर करने के उद्देश्यपूर्ति के लिये सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता दी गई है।

सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं।

इसके अलावा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कैसे होगा भारत की प्रगति का आकलन :–

केंद्र सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की ज़िम्मेदारी, नीति आयोग को सौंपी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची से उन संकेतकों की पहचान करना, जो हमारे राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के अंतर्गत अपनाए जा सकते हैं।

इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे उससे स्वैछिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा। यह विचारणीय है कि भारत इसकी प्रमुख उपलब्धियों जैसे–स्वच्छ भारत, वित्तीय समावेशन आदि को उजागर करेगा।

सरकार पहले ही मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों की पहचान कर चुकी है जिन्हें सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों से सम्बद्ध किया गया है। सरकार ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के लिये नागरिक समाज से भी सुझाव मांगे हैं।

परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिक समाज संगठनों(ब्वै) के ये सुझाव सरकार की रिपोर्ट का हिस्सा होंगे अथवा नहीं।

स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया एक ओर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में की गई प्रगति के आकलन का एक उपयुक्त मंच है लेकिन वर्ष 2016 की समीक्षा में सरकार ने यह बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाने का प्रयास किया था।

उल्लेखनीय प्रयासों के बावजूद एजेंडा 2030 में तय लक्ष्यों के संबंध में भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती और इसके लिये भारत को निम्न बातों पर ध्यान देना होगाः

- सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिये हमें अनेक मोर्चों पर कार्य करना होगा ताकि पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने की हमारे देशवासियों की वैध इच्छाओं को पूरा किया जा सके।
- हमारे संघीय ढाँचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। राज्यों में विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना चाहिये।
- केंद्र और राज्य सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हमारे 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए बहुत गहरी, तेज़ और अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कहीं अधिक आशावादी भविष्य अभी भी केवल विकास नीतियों, प्रोत्साहनों और कार्यों में भारी बदलाव से ही प्राप्त किया जा सकता है।भारत जैसे विविधता वाले देश में ेक्ळ हासिल करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमें प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने, स्थानीय रूप से प्रासंगिक और जन–केंद्रित विकास नीतियाँ एवं मज़बूत भागीदारी बनाने की आवश्यकता है। सरकार को प्रभाव पर नज़र रखने और मूल्यांकन करने तथा सफल हस्तक्षेपों को बढ़ाने के लिये एक केंद्रित योजना की भी आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. क्लार्क, विलियम; हार्ले, एलिसिया (2020)। "स्थिरता विज्ञानः एक संश्लेषण की ओर"। पर्यावरण और संसाधनों की वार्षिक समीक्षा । 45(1): 331–386
2. जॉनसन, जस्टिन एंड्रयू; बाल्डोस, उरिस लैंट्ज़; कोरोंग, इरविन; हर्टेल, थॉमस; पोलास्की, स्टीफन; सर्विग्नि, रैफ़ेलो; रॉक्सबर्ग, टोबी; रूटा, जियोवानी; सलेमी, कोलेट; ठकरार, सुमिल (2023)।
3. रॉबर्ट, केट्स डब्ल्यू.; पैरिस, थॉमस एम.; लीसेरोविट्ज़, एंथोनी ए. (2005)। "सतत विकास क्या है? लक्ष्य, संकेतक, मूल्य और अभ्यास"।
4. मेन्सा, न्यायमूर्ति (2019)। "सतत विकासः अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, स्तंभ, और मानव कार्रवाई के लिए निहितार्थः साहित्य समीक्षा" ।
5. संयुक्त राष्ट्र महासभा (1987) । पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्टः हमारा साझा भविष्य 31 मार्च 2022 ।
6. संयुक्त राष्ट्र महासभा (20 मार्च 1987)। " पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्टः हमारा साझा भविष्य ; दस्तावेज़ ए/42/427 .
7. पुर्विस, बेन; माओ, योंग; रॉबिन्सन, डैरेन (2019)। "स्थिरता के तीन स्तंभः वैचारिक उत्पत्ति की खोज में" ।
8. "सतत विकास" । यूनेस्को . 3 अगस्त 2015 । 20 जनवरी 2022.
9. ब्राउन, जेम्स एच. (2015)। "सतत विकास का ऑक्सीमोरोन" , जीव शस्त्र । 65 (10): 1027–1029।
10. विलियम्स, कॉलिन सी; मिलिंगटन, एंड्रयू सी (2004)। "स्थायी विकास के विविध और विवादित अर्थ"। भौगोलिक जर्नल ।
11. बर्ग, क्रिश्चियन (2020)। सतत कार्रवाईः बाधाओं पर काबू पाना । एबिंगडन, ऑक्सन। आईएसबीएन 978–0–429–57873–1.
12. कीबल, ब्रायन आर. (1988)। "द ब्रंटलैंड रिपोर्टः 'हमारा साझा भविष्य'"। चिकित्सा और युद्ध । 4 (1): 17–25।
13. रैमसे, जेफ़री एल. (2015)। "स्थिरता को परिभाषित नहीं करने पर" । जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनवायर्नमेंटल एथिक्स ।